

वर्ष-15, अंक-295

पृष्ठ-8 मूल्य 2 रुपया

महानाता कगी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है।

CITYCHIEFSENDMENNEWS@GMAIL.COM

# मिटी चीफ

इंदौर, गुरुवार 30 जनवरी 2025

सम्पूर्ण भारत में चर्चित हिन्दी अखबार

स्थानांतरण नीति (संशोधन) 2025

## मप्र में मंत्रियों को तबादले का अधिकार, आदेश जारी



**भोपाल।** मध्यप्रदेश में अभी राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। शासन ने 24 जनवरी 2021 को राज्य एवं जिला स्तर पर ट्रांसफर नीति जारी की थी। सरकार ने कार्य की सुविधा से उपरोक्त नीति की कठिका 9 में संशोधन किया है। इसमें विभाग के मंत्री विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर सकेंगे। बुधवार को सामन्य प्रशासन विभाग की तरफ से स्थानांतरण नीति (संशोधन) 2025 जारी कर दी गई। बता दें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षा में महेश्वर में हुई कैविनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। वहाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में सचिव प्राथमिकता के अनुसार नामांतरण कर आदेश जारी कर सकेंगे। साथ ही ऐसे ट्रांसफर प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है तो ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद कारण समेत

जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ शर्तों के तहत शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर (स्थानांतरण) के लिए एक नीति के तहत ट्रांसफर करते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिस स्थान से ट्रांसफर किया जा रहा है, उस स्थान पर रिक पदों का प्रतिशत ट्रांसफर किए जा रहे स्थान से अधिक तो नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर करने के कारण

## इसरो का 100वां लॉन्च मिशन सफल एनवीएस-02 उपग्रह कक्षा में स्थापित



**श्रीहरिकोटा।** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का 100वां लॉन्च मिशन सफल हो गया है। एनवीएस-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद इसरो की इस उपलब्धि को बड़ा मुकाम करार दिया जा रहा है। इसरो ने बुधवार सुबह 6.23 बजे अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इसके तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धर्म स्पेस सेंटर से जीएसएलवी-एफ15 के जरिए 2250 किलोग्राम की नैविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-02 को भेजा गया। नैविगेशन उपग्रह एनवीएस-2 नैविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन यानी नाविक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। इस श्रृंखला में कुल पांच सैटेलाइट भेजी जानी हैं। इससे पहले एनवीएस-01, जो दूसरी पीढ़ी का पहला सैटेलाइट था, 29 मई 2023 को जीएसएलवी-एफ12 के जरिए लॉन्च किया गया था। जबकि, एनवीएस-02, एनवीएस सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। इसमें एल1, एल2

और एस बैंड में नैविगेशन पेलोड के साथ-साथ सी-बैंड में रेंजिंग पेलोड भी लगाया गया है, जैसा कि इसकी पहली पीढ़ी की सैटेलाइट एनवीएस-01 में था। अंतरिक्ष मालियों के विशेषज्ञों के मुताबिक, एनवीएस-02 के जरिए भारत अपने नाविक सिस्टम को मजबूत करेगा। इसरो का यह उपग्रह पूरी तरह स्वदैरी तकनीक से देश में ही बना है। इसे यूरोपीय फीडेंसी स्टैंडर्ड (आरएफएस) भी कहा जाता है।

## टीचर ने 8वीं की छात्रा को बेरहमी से पीटा, आईसीयू में कराना पड़ा भर्ती



**अशोकनगर।** मध्यप्रदेश के अशोकनगर से 8वीं की छात्रा को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी स्कूल के महिला टीचर ने बच्ची को महज नोटबुक ना लाने के कारण इतना पीट दिया कि उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। परिज्ञानों ने मामले की शिकायत देहात थाने में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिज्ञान द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद डीआईओ और डीपीसी भी मौके पर पहुंच गए।

जिस स्कूल में शिक्षिका द्वारा छात्रा के साथ मारपीट की गई है उस स्कूल की मायदा कलेक्टर द्वारा पहले ही रह की थी। इसके बाद स्कूल संचालक हो रहा है। दरअसल अशोकनगर के थूवोन रोड पर भारतीय परिवहन स्कूल स्थित है। यहाँ पढ़ने वाली कक्षा 8 की छात्रा खुशबू कंबट को नोटबुक न लाने की बात पर शिक्षिका परी शर्मा ने इतनी

बेरहमी से पीटा कि छात्रा बेहोश हो गई। बाद में छात्रा को परिज्ञानों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ आई सी यू वार्ड में उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पिटाई से छात्रा की स्मृति शक्ति कमज़ोर हो गई है। अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर संचालक को लताड़ भी लगाई। फिलहाल छात्रा का इलाज चल रहा है।

देहात थाने में भी कोई गई है। वहाँ जानकारी लगाने पर जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी भी पहले छात्रा का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे और उसके बाद संबंधित स्कूल भी गए। अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर संचालक को लताड़ भी लगाई। फिलहाल छात्रा का इलाज चल रहा है।

आपको बत दें कि सोनभद्र जिले में भी महाकुंभ व मौनी अमावस्या को

स्थानांतरण नीति (संशोधन) 2025

महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं वह भारत की आत्मा है : राहुल गांधी



नई दिवंगी। कांग्रेस ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बहुसंपत्तिवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और अरोप लगाया कि आज ऐसे लोग हैं जो खुद की ब्रांडिंग के लिए राष्ट्रपिता के चरणों और लाली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आदेश भी मांगता है। नाशूपाम गोडसे ने 1948 में आज ही के दिन बापू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मलिकाजुन खराने ने सोशल मीडिया में 'एक्स। पर पोस्ट किया, सत्य, अहिंसा, सर्वतोत्तम और सर्वधर्म सम्भाव के बापू के विचार आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमें उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो सभी के लिए समानता और उत्थान के उनके आशाओं को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आइए, राष्ट्र की विविधता में एक राष्ट्र की गई थी। नाशूपाम गोडसे वह व्यक्ति था जिसने बापू पर गोलियां दाढ़ी ली, लेकिन वास्तव में वह एक विचारधारा थी और ऐसे विचारक थे जिन्होंने वह विषेष लालाकार वातावरण तैयार किया था जिसने बापू के लिए समानता सुनिश्चित करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, वह भारत की आमा हैं, और वह भारतीय में आज भी जीवित है। उन्होंने 'एक्स। पर पोस्ट किया, सत्य, अहिंसा और निःराजनी की जांच में एक नाशूपाम गोडसे में संबंधित हैं जिसने गांधी जी के चरणों में एक व्यक्ति बड़े से बड़े सामाजिक शक्ति बढ़ावा दिया है। जैसे उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर का मजाक उड़ाया था। उन्होंने अरोप लगाया, आज ऐसे लोग हैं जो खुद की ब्रांडिंग के लिए गांधीजी के चरणों और लाली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश भर में गांधीवादी संस्थानों को नष्ट करते हैं। रेशेने कहा कि महात्मा गांधी की विवासत की रक्षा, संरक्षण और प्रवाचन-प्रसार करना बेहद ज़रूरी है तथा आइडिया ऑफ ईंडिया का अस्तित्व इसी पर निर्भर है।

तत्काल स्थानांतरण की आवश्यकता है। न्यायालय के आदेश- यदि किसी न्यायालय का आदेश हो और उस आदेश का पालन करना आवश्यक हो, लेकिन स्थानांतरण के दौरान कर्मचारी पर कोई विभागीय कार्रवाई लंबित न हो। गंभीर शिकायत या अनियमितता- यदि शासकीय कर्मचारी के खिलाफ गंभीर शिकायत या लापत्ति करना चाहिए तो वह व्यक्ति को अवश्य अन्य कर्मचारी के खिलाफ गंभीर शिकायत या लापत्ति करना चाहिए। यदि विभाग ने उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। आपसी अपाराध मामला- यदि लोकायुक्त या पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ आपाराधिक मामला दर्ज किया हो और जांच में कोई रुकावट न हो, तो इस कारण भी रक्षा करें और सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वाहन मालिकों और ड्राइवरों की सही जानकारी दर्ज हो और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो सके। क्यों आ रहा है नया नियम? मंत्रालय इस बदलाव को मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहा है। कई वाहन मालिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर या पाता बदल लेते हैं, जिससे उन पर जुर्माना लगाना मुश्किल हो जाता है। नए नियम लागू होने के बाद, ऊर्ध्व और छुर्को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, जिससे वाहन मालिकों के सही पते और मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा।

देहात थाने में भी कोई गई है। वहाँ जानकारी लगाने पर जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी भी पहले छात्रा का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे और उसके बाद संबंधित स्कूल भी गए। अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर संचालक को लताड़ भी लगाई। फिलहाल छात्रा का इलाज चल रहा है।

देहात थाने में भी कोई गई है। वहाँ जानकारी लगाने पर जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी भी पहले छात्रा का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे और उसके बाद संबंधित स्कूल भी गए। अधिकारी ने स्कूल पहु



## 20 साल बाद लोकायुक्त थाने की हवालात को सौरभ शर्मा ने किया 'आबाद'

भोपाल। मध्यप्रदेश लोकायुक्त थाने की हवालात में 20 साल बाद कोई आरोपी पहुंचा है। दरअसल, 2004 के बाद से लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर हवालत में रखना बंद कर दिया था। अब 20 साल बाद आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल लोकायुक्त की सलाखों में पहुंचे हैं। बता दें कि 2004 में लोकायुक्त पुलिस ने कमरशियल टैक्स विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिशनर आरके जैन को गिरफ्तार किया था, उनको लोकायुक्त थाने की हवालात में रखा गया था। आरके जैन ने हवालात में आत्महत्या कर ली थी आरके जैन की खुदकुशी के मामले में तत्कालीन लोकायुक्त डीएसपी समेत कई पुलिस कर्मचारियों को सम्पेंड कर दिया गया था और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। उस समय मध्यप्रदेश में उमा भारती की सरकार थी। इस घटना से सरकार की किरकिरी हुई थी। इसके बाद लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर हवालत में रखना बंद कर दिया था। अब 20 साल बाद सौरभ और उसके दो साथी लोकायुक्त की हवालत में पहुंचे हैं सौरभ शर्मा और उसके दो साथियों को लॉकअप में रखने के रखने के सवाल पर लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर ने कहा कि हमने तीनों को कढ़ी सुरक्षा के साथ रखा

है। सौरभ शर्मा की डायरी के सफेदफोश होंगे बेनकाब परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का सरगना आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा 41 दिन बाद लोकायुक्त की गिरफ्त में आया है। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उसे सात दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। सौरभ के साथ ही लोकायुक्त की पकड़ में उसके साथी चेतन सिंह गौड़ और शरद जायसवाल भी आ गए। अब लोकायुक्त द्वारा तीनों से अलग-अलग और आमने-सामने बैठा कर पूछताछ की जा रही है। इसमें कांस्टेबल आरटीओ के बड़े घोटाले में कई बड़े खुलासे कर सकता है। शर्मा की गिरफ्तारी ने प्रदेश के कई बड़े नेता और अफसरों की सांसें फूला दी हैं। सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नियुक्ति शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री धूपेंद्र सिंह के कार्यकाल में हुई थी। उसकी नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। हालांकि, इन आरोपों पर धूपेंद्र सिंह जवाब दे चुके हैं कि कांस्टेबल की नियुक्ति में मंत्री का सीधा कोई दखल नहीं होता। 2016 से 2023 तक नौकरी में रहा। सौरभ सौरभ शर्मा 2016 से 2023 तक नौकरी में रहा। इस बीच, कांग्रेस से भाजपा में आए गोविंद सिंह राजपूत,

कमलनाथ और शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री रहे। सौरभ शर्मा ने उनके कार्यकाल में करीब चार साल तक नौकरी की। दरअसल, कार्गिस के कई बड़े नेता आरोप लगा चुके हैं कि एक कांस्टेबल इतना पैसा बिना किसी सफेदपोश और बड़े अधिकारी के संरक्षण के बगैर नहीं कमा सकता। इसमें गोविंद सिंह राजपूत पर भी आरोप लगे। हालांकि, राजपूत ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया कि इस मामले में मेरा कोई लेना—देना नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच के बाद सब क्लियर हो जाएगा। डायरी में कई अधिकारियों के नाम सौरभ के दोस्त चेतन गौर की गाड़ी में एजेंसी को एक डायरी मिली है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के हिसाब किताब लिखा होने की बात सामने आई है। अब सौरभ और चेतन गौड़ पूछताछ में डायरी में किन अधिकारियों का लेखा जोखा है, उसका खुलासा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि डायरी में उन अधिकारियों की पूरी डिटेल है, जिनको उगाही का हिस्सा देता था। ऐसे में कई अधिकारियों और नेताओं की अब धड़कनें बड़ी हुई हैं। जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए सवाल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को छापा मारा

था। इसके बाद से वह फरार था। इसके बाद एजेंसियों के उसके दुबई जाने की बात कही। वर्हीं, रेड कॉन्सर्न नोटिस जारी किया गया। हालांकि, बाद में उसके 23 दिसंबर को भारत लौट आने की जानकारी भी सामने आई। वह इसके बाद से दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में घूम रहा था। वह अपने परिवार के संपर्क में था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बीच वह भोपाल भी आया, लेकिन एजेंसियां सोती रहीं। सौरभ के बकील राकेश पाराशर ने दावा किया कि सोमवार को सौरभ कोर्ट आया और आवेदन पर हस्ताक्षर किए। इसके बावजूद एजेंसियों को कोई भनक नहीं लागी। ऐसे में अब जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली भी संदेह के धेर में है।

गिरफ्तारी के बाद आयकर विभाग और डीआरआई एक साथ पूछताछ कर सकते हैं। बताया जाता है कि 19-20 दिसंबर की रात इनोवा कार में जो सोना मिला था वह विदेश से मंगाया गया है। इसकी मैन्युफ्करिंग दुबई, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की होने की बात सामने आई है। इसके बाद आयकर विभाग ने इसकी जानकारी डीआरआई को भी दे दी है। सोना और कैश की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पार्ट है। सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल व उनके रिसेटरों के ठिकानों पर लोकायुक्त, ईडी की छापेमारी में जब्त कैश और सोना के मापले में आयकर विभाग पूछताछ करेगा। आयकर इनके आय के स्रोत के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयकर विभाग सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ के सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। विभाग यह देख रहा है कि क्या सौरभ की रिमांड की अवधि 4 फरवरी के पहले उससे बात हो सकती है? लोकायुक्त पुलिस की हिरासत में उससे पूछताछ संभव हो सकी तो लोकायुक्त पुलिस की मौजूदगी में उसके बयान लिए जा सकते हैं। आयकर विभाग के पास कोर्ट से भी टाइम लेकर पूछताछ करने का विकल्प है। अगर रिमांड अवधि के बाद सौरभ शर्मा को जमानत

मिल जाती है तो फिर विभाग सीधे समन देकर बयान देने के लिए बुला सकता है। अरुण यादव ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सौरभ शर्मा के मामले में भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह तीसरी बार है जब उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा के राज से किस-किस पर गिरेगी गाज? यादव ने इस मामले में कई सवाल उठाते हुए कहा कि जब सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, तो फिर जांच एजेंसियों को उसके देश और प्रदेश में आने की जानकारी क्यों नहीं मिली? उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या एजेंसियां सही तरीके से जांच कर रही हैं, या फिर सभी जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा को बचाने में लगी हुई हैं? यादव ने यह भी पूछा कि सौरभ शर्मा 24 घंटे तक भोपाल में कहाँ रुका था और इस दौरान जांच एजेंसियां पूरी रात क्यों सोइ रहीं? अरुण यादव ने यह भी आरोप लगाया कि इन 24 घंटों के दौरान सौरभ शर्मा को संरक्षण दिलाने की सारी व्यवस्थाएं क्या किसी मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्य ने की थीं? उन्होंने यह सवाल भी किया कि क्या सौरभ शर्मा से होने वाली पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाएगी?

# भापाल में 20 हजार से ज्यादा खानपान की दुकानों के लाइसेंस नहीं

खाने के सामान में भी भारी मात्रा में मिलावट

खान का सामान न मा भारा भात्रा न मिलावट



सामान बिकता है। वहीं, होटल और रेस्टोरंट में उनकी संख्या ज्यादा है। इस तरह करीब 20 करोड़ का खाना-पीना बाहर होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि फूड एक्ट के तहत लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। हॉकर्स और फुटपाथ वाले दुकानदारों के लिए फी में रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। ऐसपी ऑनलाइन के माध्यम से या फिर खुद ही डिपार्टमेंट की साइट से जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि फूड स्टॉल में उनकी जांच का शेड्यूल फिक्स रहता है। इसके अलावा शिकायत

ऑफिसर ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि उनको भी जागरूक रहना चाहिए। वे जिस भी दुकान में जाएं वहाँ फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की स्थिति जरूर देखें। आप जिस भी दुकान पर खाने-पीने का सामान खरीदने जा रहे हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस देखें। खाने पीने की दुकान पर यदि रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस नहीं लगाया गया है तो उसके बारे में दुकानदार से पूछें। इसके चलते उपभोक्ताओं को शुद्ध सामग्री मिल सके। फूड एंड सेपटी स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के तहत बिना लाइसेंस लिए खाद्य सामग्री बेचने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

# जय श्री गायत्रा फूड कपना पर भोपाल, मुरैना और सीहोर में ईडी का छापा



वाले प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट फर्जी हैं। साथ ही दूसरे देशों की कई एजेंसियों ने अमानक खाद्यपदार्थों को लेकर केंद्र सरकार से शिकायत की थी। इसके आधार पर टीम ने कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा। ईडी की टीम राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट के पास स्थित कंपनी के ऑफिस में कार्रवाई कर रही है। वही, सीहोरा रातीबड़ भोपाल मार्ग पर ग्राम

पिपलिया मीरा में स्थित जय श्री  
गायत्री पनीर फैक्ट्री पर भी  
छापामार कार्बवाई जारी है। सुबह  
पुलिस के जवानों के साथ  
अधिकारियों का दल ग्राम पिपरिया  
मीरा में स्थित जयश्री गायत्री फूड  
प्रोडक्ट पनीर फैक्ट्री पहुंचा और  
जांच पड़ताल शुरू की। इसके  
अलावा इंडी की एक टीम फैक्ट्री  
प्रबंधन के मुरैना स्थित ठिकाने पर  
भी पहुंची है।

भोपाल। राजधानी भोपाल का चौथा तो यह टेंटें भोपाल नहीं आएंगी। का निर्देश दिया, जिससे भोपाल और

रलव स्टेशन जल्द ही शुरू हा  
जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी  
की जा चुकी हैं। यह स्टेशन भोपाल  
से आगे निशातपुरा है। यहां पर  
करोड़ों रुपए की विकास  
परियोजनाओं के माध्यम से उत्तम  
किया गया है। स्टेशन पर नवनिर्मित  
प्लेटफॉर्म, पैदल पार पुल, यात्री  
लिफ्ट, रैप और प्रतीक्षालय सहित  
अन्य सुविधाओं का विस्तारीकरण  
किया गया है। मालवा एक्सप्रेस और  
सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस को  
निशातपुरा स्टेशन से ही संचालित  
किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ

राना कमलापात स्टेशन पर यात्रा  
भीड़ कम होगी। सांसद आलोक  
शर्मा ने बताया कि वे जल्द ही रेल  
मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात  
कर स्टेशन के शुभारंभ की तारीख  
तय करेंगे। उम्मीद जताई गई है कि  
फरवरी के अंत तक स्टेशन यात्रियों  
के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा।  
वहीं, रेलवे के अधिकारियों के  
अनुसार भोपाल मंडल की ओर से  
स्टेशन के शुरू करने के संबंध में  
पूरी तैयारी है। पहले चरण में यहां  
14 ट्रेनों को ठहराव दिया जा सकता  
है।

# सभी भर्तियों में 27 प्रतिशत ओबीसी रिजर्वेशन लागू करें



ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की है। मध्यप्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को कहा कि हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा कि मार्च 2019 में जब वे मुख्यमंत्री थे तो मध्यप्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हाईकोर्ट के फैसले ने तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। अब मध्यप्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने हमेशा घट्यंत्रकारी रखैया अपनाया है। अगर पिछले छह साल के घटनाक्रम को देखें तो यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। कमलनाथ ने आगे कहा कि जब भाजपा सरकार आई, तो उन्होंने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के हमारे फैसले को कमज़ोर करने का काम किया। भाजपा सरकार ने 14% आरक्षण के साथ भर्तीया

आरक्षण को होल्ड कर दिया। इससे ओबीसी वर्ग को सीधे तौर पर नुकसान हुआ। कमलनाथ ने कहा कि 28 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के पक्ष में आने के बाद अब राज्य सरकार को जल्द से जल्द 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह ओबीसी वर्ग का अधिकार है, जिसे कांग्रेस ने सुनिश्चित किया था और अब यह भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इसे लागू करें। हमारी सरकार ने किया ओबीसी आरक्षण देने का फैसला कमलनाथ ने कहा कि मार्च 2019 में मेरी तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था। उसी साल 19 मार्च को हाईकोर्ट ने पोस्टप्रेज़ुएट मेडिकल कोर्स के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर स्थगन दिया। गौरतलब है कि स्थगन सिर्फ कुछ नौकरियों के लिए था। इतना ही नहीं ओबीसी के 27

बाधाओं को दूर करने के लिए जुलाई 2019 में मेरी सरकार ने विधानसभा से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का कानून भी पास कर दिया था। ओबीसी के खिलाफ घट्यंत्र हुआ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद ओबीसी के खिलाफ घट्यंत्र शुरू किया गया। हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ कुछ पदों पर लागू होना था लेकिन भाजपा सरकार ने पूरे राज्य में सभी जगह यह आदेश लागू कर 27 प्रतिशत आरक्षण की हत्या कर दी। राज्य सरकार का 87:13 फार्मूला खारिज मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार के 87:13 फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। इस फार्मूले का इस्तेमाल सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के लिए किया जाना था। यह मामला ओबीसी आरक्षण को 14% से

हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 87:13 के फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह फार्मूला सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े विवाद के बीच नियुक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए सुझाया गया था। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है। यह मामला पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से शुरू हुआ था, जिसे बाद में कानून बना दिया गया था। इस कानून के तहत ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। इसके बाद कई याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। कुछ याचिकाएं इस कानून के समर्थन में थीं तो कुछ विरोध में। हाईकोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी। इसी बीच, राज्य सरकार ने नियुक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए 87:13 का फार्मूला सुझाया। इस फौम्युले के तहत, विज्ञापित पदों में से 87% पर नियुक्तियां की जानी थीं। बाकी 13% पदों के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों की दो अलग-अलग सूचियां बनाई जानी थीं। इन सूचियों में मेरिट के आधार पर सबसे कम अंक वाले उम्मीदवारों को शामिल किया जाना था। इन उम्मीदवारों के परिणाम रोक दिए जाते और कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही नियुक्तियां दी जातीं।

# स्टेट म्यूज़ियम में गूंजा लोक गायन...गौत संगौत से सजौ शाम



पीड़ी को अपने देश और प्रदेश की विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से वाकिफ कराना था। कार्यक्रम के समापन सत्र में आयोजित सांस्कृतिक संध्या का आगाज संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में संस्कृति सचिव और पुरातत्व विभाग की आयुक्त श्रीमती उर्मिला शुक्ला, निदेशक डॉ पूजा शुक्ला भी अतिथियों में शामिल थीं।

व्याख्यान माला में रेखांकित हुए सिक्के कार्यक्रम के प्रारंभ में आयुक्त

उर्मिला शुक्ला ने द्वारा युग-युगीन सिक्कों की प्रदर्शनी और इस पर आधारित व्याख्यान माला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। ये सिक्के अधिनी शोध संस्थान महिंदपुर के संग्रह से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्के समसामयिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जीवंत प्रमाण हैं। यहां प्रदर्शित सिक्के भारत की प्राचीनतम निष्ठ के रूप में प्रचलित प्राचीनतम सिक्कों से लेकर आहत मुद्राएं, बेंट बार सिक्के, कुषाण, शक क्षत्रप,

मध्यकालीन, चौहान, चाणक्य, परमार कालीन सिंके, मुगल शासक जहाँगीर के सिंके एवं देशी रिसायत के सिंके प्रदर्शित हैं। जिनमें गुप्त शासक राम गुप्त के सिंके एवं पर्यावरण के संदेश देते बाग के मध्य नहर युक्त एवं मत्थ्य, कच्छप आदि अंकित सिंके, शिव के महाकाल स्वरूप के अंकन युक्त सिंके शामिल हैं।

**छाया संगीत का जादू सुरेश कुशवाहा** हिन्दी गीत, गजल, भजन गायन के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित गायक हैं। कुशवाहा एवं उनके दल द्वारा कार्यक्रम के आसभ में साहिल कुमार द्वारा श्रीराम पर आधारित भजन का गायन किया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश की संस्कृति पर आधारित भजन का गायन किया गया। कलाकारों ने भारतीय संस्कृति पर आधारित लोक गीत गाए गए। लोक नृत्य की प्रस्तुति की श्रृंखला में लोक गायिका जया ने एक से एक गीत प्रस्तुत किए और उपस्थित श्रोताओं और दर्शकों की वाह-वाही लूटी।

## संपादकीय

## समान नागरिक संहिता को लागू करना अवैध और असंवैधानिक नहीं

समान नागरिक संहिता कोई 'संघी व्यवस्था' नहीं है। संविधान बनाने वाले हमारे पुरुषों ने अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान निहित किया था कि केंद्र अथवा राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास जल्द करें। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इसकी पक्षधरता कुछ अवसरों पर व्यक्त की है। तो यह बुनियादी निष्कर्ष तय है कि समान संहिता को लागू करना अवैध और असंविधानिक नहीं है। उत्तराखण्ड में यह भाजपा सरकार ने ही तय नहीं किया है, बल्कि सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश रह चुकीं जस्टिस एंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 2.35 लाख लोगों से विमर्श किया गया। भाजपा की तर्जे 'आमीं जनापंडी रख रहीं एक बनियार्थी, बैलूपरिक प्रांतों के

भाजपा हा नहा, भारताय जनसंघ का भा एक बुनयादी, वचारिक एजडा देश के एक राज्य में लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता को कानूनन उत्तराखण्ड राज्य ने लागू किया है। अभी भाजपा शासित 6-7 राज्य और हैं, जहां समान नागरिक संहिता की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। वहां से भी जल्द ही अच्छी खबरें आ सकती हैं। केंद्र के स्तर पर कब होगा, फिलहाल यह निश्चित नहीं है। उत्तराखण्ड देश का सर्वप्रथम राज्य बन गया है। भाजपा के मातृ-दल जनसंघ ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और तीन तलाक को कानून बनाने सरीखे मुद्दों को अपना वैचारिक एजेंडा तय किया था और उसी के आधार पर राजनीति की थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भाजपा और विहिप का साझा एजेंडा था। आरएसएस बांग्लादेशी बुसपैठियों को देश के बाहर खेड़ने का पक्षधर रहा है। देखा जाए तो ये संघ परिवार के ही वैचारिक मढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

उन मुद्दों को साकार कराया है, बेशक समान नागरिक संहिता पर वे राज्यवार चलना चाहते हैं। यह बचाव-मुद्रा इसलिए है, ताकि देशभर में सांप्रदायिक बचाव न मचे और दंगों की नौबत न आए। उत्तराखण्ड ने जो पहल की है, उसका भी त्वरित विरोध 'जमायत-ए-हिंद' ने किया है और समान संहिता को मुसलमानों के मजहबी हुक्मूक में दखलअंदाजी माना है। उन्होंने इस कानूनी व्यवस्था को सर्वोच्च अदालत में चुनौती देने का भी ऐलान किया है। वैसे समान नागरिक संहिता कोई 'संघी व्यवस्था' नहीं

है। संविधान बनाने वाले हमारे पुरुषों ने अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान निहित किया था कि केंद्र अथवा राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास जरूर करें। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इसकी पक्षधरता कुछ अवसरों पर व्यक्त की है। तो यह बुनियादी निष्कर्ष तय है कि समान संहिता को लागू करना अवैध और असंवैधानिक नहीं है। यह भाजपा सरकार ने ही तय नहीं किया है, बल्कि सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश रह चुकी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 2.35 लाख लोगों से विमर्श किया गया। उस प्रक्रिया के बाद ही 740 पत्रों का मसविदा सामने आया। उसे विधानसभा में पारित किया गया, फिर राज्यपाल ने सहमति दी और 12 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति ने अनुमोदित

किया। विमर्श की उंगाइश अब भी है। साफ़ है कि समान नागरिक संहिता के तहत सभी धर्मों के सभी लोगों को समान अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। सवाल यह है कि अनुसूचित जनजातियों को भी इससे अलग क्यों रखा गया है? आदिवासी अब पूरी तरह कबीलाई नहीं हैं। वे भी सुशिक्षित हैं, सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं, आईएएस/आईपीएस अधिकारी भी हैं। नए दौर, नए युग की करवटें वे

भी देख रहे हैं। उन आदिवासियों को इस कानून से अलग रखा जा सकता था, जो आज भी अनपढ़ हैं और जंगल की जिंदगी जी रहे हैं। बहरहाल समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक, बहुविवाह, बाल विवाह, बेटा-बेटी बराबर, गोद लेने की कानूनी व्यवस्था, विरासत, वसीयत और लिव-इन सरीखी तमाम व्यवस्थाएं समान रूप से लागू की जा सकती हैं। उत्तराखण्ड ने अपने कानून में 'हलाता' को 'अपराध' करार दिया है। धारा 63 और 51, महिला से क्रुरता या उत्पीड़न धारा 69 में

दिपा हां पारा ६३ जार ३१, भारत से प्रस्तुता या उन्नाड़ा पारा ६७ म अपराध है। हलाला पर १० साल तक जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार और विवासत के नियम सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान होंगे। इससे हलाला जैसी कुप्रथाओं का अंत होगा और महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। बिना पंजीकरण के लिव-इन संबंध एक महीने से अधिक चलने पर तीन महीने की कैद या 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। विवाह पंजीकरण न होने पर 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विवाह और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण ऑनलाइन करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र सात दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यूसीसी के तहत एक पलीत्व को सुनिश्चित किया गया है। विवाह के समय किसी व्यक्ति का अन्य

जीवनसाथी जीवित नहीं हो सकता है। वसीयतनामे में पारदर्शित बढ़ाने के लिए आधार आधारित दस्तावेजीकरण और गवाहों की वीडियो स्कॉर्डिंग अनिवार्य किया गया है। लड़कियों और लड़कों को उत्तराधिकार में समान अधिकार मिल गया है। उत्तराखण्ड सरकार के इस निर्णय को महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हलाल जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और लड़कियों को समान विवासत अधिकार देने के प्रावधानों को महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यूसूसीं लागू करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है और अधिनियम के

कार्यान्वयन के लिए नियमों को मंजूरी दी गई है। यह कदम राज्य को समता और न्याय की ओर अग्रसर करेगा। बहरहाल समान नागरिक संरक्षिता देशभर में लागू क्यों न की जाए?

# कुड़ार में नया

जल्द ही आम बजट 2025 पेश किया जाएगा। देश के लोगों में बजट घोषणाओं को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। आम आदमी, व्यापार जगत, इंडस्ट्री और वृहत समाज को इससे बहुत उमरीदें होती हैं। देश की अजादी के साथ 26 नवंबर, 1947 को भारत के पहले वित्तमंत्री आरके शानमुखम चेट्टी द्वारा शुरू किया गया यह सफर निर्बाध तरीके से निर्मला सीतारमण तक चला आ रहा है। यह केंद्रीय बजट एक अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए देश की वित्तीय योजना को तय करेगा। सरकार 2025 के बजट में नया आयकर विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि देश के 64 साल पुराने आयकर कानून में बदलाव हो सकता है। नए विधेयक का लक्ष्य मौजूदा कर नियमों को सरल बनाना, उन्हें समझना आसान बनाना और दस्तावेजों के आकार को लगभग 60 फीसदी तक कम करना है। जहां तक देश की आर्थिक स्थिति का सवाल है तो मौजूदे के लिए पहले अग्रिम मुताबिक, जीडीपी ग्रोथ 6.4 आती दिख रही है। इसके चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 5.3 फीसदी ही बढ़ेगा, जो वर्ष में 9.9 फीसदी बढ़ा। सेक्टर की ग्रोथ 5.8 फीसदी अनुमान है, जो सालभर पहले थी। फाइनैशल, रियल प्रोफेशनल सेगमेंट की ग्रोथ के मुकाबले 7.3 फीसदी रहेंगे हैं। पहला सुझाव है कि बैंक सेलरी ब्लास को राहत दी जाएगी। यूनियन बजट में स्टैंडर्ड कटौति ऐलान किया जाना बेहतर 2024-25 के यूनियन बजट ने इनकम टैक्स की नई रिजिस्ट्रेशन डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया। लंबे समय से मिडिल ब्लास में छूट का दायरा बढ़ाने की उम्मीद है। बजट 2025 में मिडिल ब्लास

# गांवों की खुशहाली मापने के लिए बनाएं नए मानदंड

ग्रामीण इलाके में जैसा समृद्धि दिखनी चाहिए, कम से कम जमीनी स्तर पर वैसी समृद्धि नहीं है। गांवों का जैसा रूप होना चाहिए, वैसा नहीं है। इसलिए सिर्फ घरेलू खर्च के जरिये ही गांवों की खुशहाली और समृद्धि की खोज करना उचित नहीं होगा। यह तभी होगा, जब गांवों की खुशहाली और समृद्धि मापने के लिए समन्वयत और समावेशी मूल्यांकन प्रणाली अपनाएंगे, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि कितनी ग्रामीण आबादी

को मजबूरी में गांव पीछे  
छोड़ना पड़ा है और  
कितनी आबादी गांव  
लौट रही है।  
दुनिया की पांचवीं बड़ी  
अर्थव्यवस्था वाले अपने देश की

पहचान उसके गांव रहे हैं। देश सिर्फ ग्रामीण संस्कृति और कृषि व्यवस्था के लिए ही नहीं, सहकार और शिल्पकारी के लिए भी वैश्विक पहचान रखते रहे हैं। सोने की चिंडिया कहे जाने वाले दौर में भी भारतीय कृषि और आर्थिकी के आधार गांव ही रहे। यह बात और है कि अंग्रेजी शासन के दौरान से भारतीय गांवों का पतन शुरू हुआ। इसके बाद भारतीय गांव गरीबी और मजबूरी के पर्याय माने जाने लगे। लेकिन घरेलू उपयोग और खर्च के ताजा सर्वेक्षण की रिपोर्ट बता रही है कि गांवों की आर्थिक तस्वीर बदलने लगी है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से घरेलू उपयोग और खर्च के लिए कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरेलू खर्च का जो पहले अंतर रहता था, वह लगातार घटता चला गया है। अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी भारत में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 4,122 रुपए और 6,996 रुपए हो गया है। जबकि पहले यानी 2022 से 2023 के बीच यह खर्च क्रमशः 3,773 रुपए और 6,459 रुपए था।

यानी शहरी और ग्रामीण भारत की प्रति व्यक्ति खर्च दर में बढ़ा अंतर था। मोटे तौर पर यह आंकड़ा बता रहा है कि हाल के दिनों में ग्रामीण इलाकों में आर्थिक समृद्धि पहले की तुलना में बढ़ी और उस लिहाज से खर्च भी बढ़ा है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68 प्रतिशत आबादी

# प्रायोगिक

A photograph showing two men in a field. One man is bending over, and the other is standing and holding a large bundle of dry grass or hay. In the foreground, the head and neck of a dark-colored horse are visible, wearing a halter. The background shows some buildings and trees.

गांवों में रहती है, जबकि 32 प्रतिशत आबादी शहरों में है। स्वाधीन भारत में विशेषकर उदारीकरण के बाद जिस तरह का विकास मॉडल हमने अपनाया, उसमें शहरी विकास पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, ग्रामीण विकास या तो रस्मी रहा या फिर उस पर फोकस शहरों की तुलना में कम रहा। शहरों की ओर रोजगार और जीवन सुविधाएं केंद्रित होती चली गई। शिक्षा के भी बेहतर अवसर गांवों की तुलना में शहरों की ओर बढ़ते गए। इस लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज्यादा पलायन रोजगार और शिक्षा के लिए हुआ। फिर जिन परिवारों के पास सहूलियतें बढ़ीं, उन परिवारों ने अपनी हैसियत और बजट के लिहाज से मुफीद पाए जाने वाले शहरों की ओर रहने के लिए रुख किया। यही बजह है कि शहरी और ग्रामीण आबादी का जो अनुपात आबादी के समय था, वह आज बदल चुका है। आजादी के बक्त तकरीबन 80 फीसदी से ज्यादा लोग गांवों में रहते थे, अनुमान है कि वह घटते-घटते अब साठ और पैंसठ फीसदी के बीच आ गई है। रिकॉर्ड पर ग्रामीण आबादी का इतना बड़ा हिस्सा भले ही गांवों में बसता हो, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में रोजी-रोटी और शिक्षा के लिए कभी शौकिया तो कभी मजबूरीवश रहने को मजबूर है। इसलिए रिकॉर्ड की तुलना में वास्तविक ग्रामीण आबादी अब और भी कम हो चुकी है।

घरेलू खर्च के इस नए आंकड़े को देखते बक्त हमें इस संदर्भ पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल चल रहे हैं। मुफ्त खाद्यायोजना समेत कई अन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के जरिये मुफ्त में मिल रहे चीजों की कीमतों को ध्यान रखें तो घरेलू खर्च के ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 4,247 रुपए और 7,072 रुपए हो जाते हैं। मौजूदा कीमतों के संदर्भ में देखें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खपत पर औसत आठ और नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही 2011-12 में शहरी और खपत खर्च के बीच 84 प्रतिशत विवरण अंतर था, जो 2022-23 में घटकर 71 प्रतिशत हो गया। जबकि अब 70 फीसद ही रह गया है। इन आंकड़ों से ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खुशहाली की तसवीर बनाने आती है। दिलचस्प यह है कि इस आंकड़े में खाने-पीने के अलावा की चीजों पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह खपत 60 और 53 प्रतिशत रहा। इसके अलावा साफ है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी वाहन, कपड़ा और बिस्तर, जूते, मनोरंजन एवं टिकाऊ आदि सामानों पर खपत बढ़ा है। इससे साफ है कि उपभोक्तावाद ने ग्रामीण इलाकों पर भी जोरदार दस्तक दी है। वैसे अनेक इन स्टोर से गांवों की खरीददारी बढ़ी है और उनमें डिलीवरी एजेंटों की बाइकें अब ग्रामीण इलाकों का भी खूबी चक्कर लगा रही हैं।

पिछले साल मई में रिजर्व बैंक भी ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खपत खर्च को लेकर ऐसे बड़े आंकड़े जारी किए थे। इन्हें आंकड़ों के आधार पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी रहेगी और

हमें यह भी ध्यान देना होगा कि ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल पर खर्च में निजी या पारिवारिक खर्च में कमी आई है। इसकी वजह यह है कि सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम

चाँकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक, कर्ज लेने में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कहीं ज्यादा आगे हैं। गांवों में प्रति एक लाख लोगों में 18,714 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कोई न कोई कर्ज ले रखा है, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 17,442 प्रति लाख ही है। साफ है कि उपभोक्तावाद ग्रामीण संस्कृति को बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। कर्ज कभी गांवों के लोगों के लिए सिरदर्द होते थे, इसलिए वहां बचत केंद्रित आर्थिकी पर जोर था। लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। इसका मतलब साफ है कि गांवों में खर्च भले ही बढ़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि गांवों की तसवीर अभी कम से कम वैसी नहीं हो पाई है, जिस स्तर पर शहरी तसवीर है। गांवों का समृद्ध होना जरूरी है। हाल के दिनों में जनसंख्या को बढ़ाने और न बढ़ाने को लेकर सियासी तौर पर अपने-अपने तर्क दिए जा रहे हैं। इन तर्कों के अपने आधार हो सकते हैं। लेकिन इससे शायद ही कोई इनकार करेगा कि भारत के शहरों की सांस अगर फूल रही है तो इसकी बड़ी वजह उनकी ओर बेतहाशा हो रहा पलायन और उस बड़ी जनसंख्या के लिए इस्तेमाल हो रहे उपभोक्ता वस्तुओं का बड़ा योगदान है। भारत में आबादी बढ़ाने की जगह आबादी के समन्वित और संतुलित वितरण की जरूरत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में आबादी को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। ग्रामीण आबादी को बुनियादी शिक्षा और रोजगार गांवों या उसके आसपास ही उपलब्ध कराने की नीतियों पर आगे बढ़ा चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर आबादी को संतुलित किया जा सकेगा। तब गांव आबादी विहीन नहीं होंगे और शहरों पर आबादी का असंतुलित बोझ नहीं बढ़ेगा। गांवों में हो रही खपत और खर्च को लेकर आ रहे आंकड़ों का पहला असर यही होना चाहिए कि गांवों में आबादी रुके लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण इलाके में बढ़ा खर्च से अच्छल तो गांवों में रोजगार के साधन बढ़ने चाहिए लेकिन इस दिशा में ठोस बदलाव होते नजर नहीं आ रहे बेशक आज आजादी के बाद के दौर की तरह के बदलाल गांव नहीं हैं। बेशक शहरों जितना उसे बिजली नहीं मिलती, लेकिन पहले की तुलना में अब गांवों को भी बिजली ज्यादा मिल रही है। गांवों में भी उपभोक्ता वस्तुपूर्ण पहुंची है। इससे बेशक पारंपरिक संस्कृति चोट भले ही पहुंची हो यह भी सच है कि ग्रामीण विकास और दूसरी कल्याण योजनाओं के जरिये गांवों में केंद्रीय और राज्य सरकारों की ओर से पैसा जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा जमीनी स्तर पर खर्च होने की बजाय नौकरशार्हा और राजनीतिक रिश्त के रूप में शहरी इलाकों में ही रुक रहा है और वहीं निवेशित हो रहा है। इस लिहाज से देखें तो ग्रामीण इलाके में जैसी समृद्धि दिखने चाहिए, कम से कम जमीनी स्तर पर वैसी समृद्धि नहीं है। गांवों का जैसा रूप होना चाहिए, वैसा नहीं है। इसलिए सिर्फ घरेलू खर्च के जरिये ही गांवों की खुशहाली और समृद्धि की खोज करना उचित नहीं होगा। यह तर्भव होगा, जब गांवों की खुशहाली और समृद्धि मापने के लिए समन्वित और समावेश मूल्यांकन प्रणाली अपनाएंगे जिसमें यह भी देखा जाएगा कि कितनी ग्रामीण आबादी को मजबूरी में गांव पीछे छोड़ना पड़े हैं और कितनी आबादी गांव लौट रही है। गांवों के लिए ऐसी समन्वित नीतियां तैयार करना और उन्हें लागू करना होगा, जिनके जरिए परंपरा भी बर्चर्च रहे, संस्कृति की धारा भी अजस्त बनी रहे, समृद्धि भी आए औंगे गांवों को शहरों का मोहताज नहीं होना पड़े, जैसा महात्मा गांधी चाहते थे।

# बजट में नया आयकर विधेयक पेश करने की तयारी

रेपर्ट हो जाना चाहिए 2025 के बजे तक जाएगा। देश की लोगों में बजट घोषणाओं को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। आम आदमी, व्यापार जगत, इंडस्ट्री और वृहत समाज को इसपे बहुत अमीदें होती हैं। देश की आजादी के साथ 26 नवंबर, 1947 को भारत के पहले वित्तमंत्री आरक्ष शानमुखम चेट्टी द्वारा शुरू किया गया यह सफर निर्बाध तरीके से निर्मला सीतारमण तक चला आ रहा है। यह केंद्रीय बजट एक अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए देश की वित्तीय योजना को तय करेगा। सरकार 2025 के बजट में नया आयकर विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि देश के 64 साल पुराने आयकर कानून में बदलाव हो सकता है। नए विधेयक का लक्ष्य मौजूदा कर नियमों को सरल बनाना, उन्हें समझना आसान बनाना और दस्तावेजों के आकार को लगभग 60 फीसदी तक कम करना है। जहां तक देश की आर्थिक

है कि इस बार किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ा देनी चाहिए। बजट 2024 में इसका अनुमान लगाया गया था। 2019 में पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि का ऐलान किया गया था। उसके बाद से इसकी रकम नहीं बढ़ाई गई है। फिलहाल इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए मिलते हैं। सरकार 2000-2000 रुपए की तीन किस्तों में यह पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इससे किसान राहत महसूस करेंगे। काफी लोग आशा करते हैं कि सरकार को बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए टैक्स छूट बढ़ा देनी चाहिए। सरकार ने सबसे पहले 2022 में इनकम टैक्स की नई रिजीम का ऐलान किया था। उसके बाद से लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स नए टैक्स रिजीम को चुनें। इसी तरह से सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बजट 2024 में बदलाव किया

वेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। खास तौर पर उन इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुधारने की जरूरत है जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई हैं।

बजट 2025 भारत का शिक्षा प्रणाली का सशक्त बनाने और इसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए एक मुनहरा अवसर है। डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर देकर सरकार युवाओं को एक मजबूत और कुशल कार्यबल में बदल सकती है। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देगा। 2025-26 के लिए पेश होने वाले सालाना आम बजट में देश के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और जुड़े कर्मचारियों की भी उम्मीदें बंधी हैं। हालांकि, सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए पिछले सालों में लगातार बजट घटाया है। 2021 में बजट रेट 1.12

लाख करोड़ ८०५ जिलों का है नहीं। जिसमें से सबसे अधिक ७३४९८ करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को दिए गए। इसके बाबजूद, बजट में शिक्षा क्षेत्र को जीडीपी का केवल ५% फीसदी रकम ही आवंटित की जाती है। जबकि अमेरिका, कनाडा, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देश ४.८ से ५.५% फीसदी तक खर्च करते हैं। इसमें वृद्धि वांछित है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। हालांकि, उभरते हुए रोजगार क्षेत्र और डिजिटल युग की मांगों को पूरा करने के लिए आवंटन को और बढ़ाने की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

# आत्मिक ज्ञान प्राप्त होने पर ही मनुष्य का जन्म

## सफल होता है - विष्णु देव चैतन्य जी महाराज

क्रोध एक ऐसा लक्षण है जो मानव जीवन को बर्बाद कर देता है, यदि हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हम क्रोध पर भी अंकुश कर सकते हैं : विष्णु देव चैतन्य जी महाराज

गौरव सिंधल । सिटी चीफ

(उप्र) सहारनपुर (नागरा) ।

त्रिवेदी चैतन्य योग आश्रम

राजपुरा में मौनी अमावस्या के

उपलक्ष में आयोजित यह उपरात

प्रवचन करते हुए त्रिवेदी विष्णु

देव चैतन्य जी महाराज ने कहा

कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त होने पर

ही मनुष्य का जन्म सफल होता

है। त्रिवेदी जी को अंकुश

करते हुए उन्होंने कहा कि क्रोध

एक ऐसा लक्षण है जो मानव

जीवन को बर्बाद कर देता है,

यदि हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हम

क्रोध पर भी अंकुश कर सकते

हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें

अपने माता-पिता एवं गुरुजनों

का आदर करना होगा, यहां यह

भी आवश्यक है कि माता भी

विदुषी हो, धर्मचार्य हो तभी

वह अपनी संतान को धर्म के

मार्ग की ओर अग्रसर कर

सकती है। इसी तरह पिता भी

धार्मिक तथा परोपकारी हो, ऐसे

में जब किसी अच्छे गुरु का

सानिध्य मिलता है तो बालक

ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होता

है। निरंतर प्रयास से वह

ज्ञानवान बन जाता है। उन्होंने

कहा कि नित्य कर्म से ही ज्ञान

का बोध होता है। आज वर्तमान

में हर व्यक्ति पैसे के पीछे अंधा

होकर दौड़ लगा रहा है जबकि

इससे कल्याण होने वाला नहीं

है। धर्म के अनुकूल कर्म करते

हुए जो व्यक्ति अपने अपने

परिवार का पालन पोषण करता

है उसे ही सच्च सुख प्राप्त होता

है। उन्होंने कहा की किसी भी

कार्य करने से पहले उसके बारे

में जान लेना आवश्यक है यदि

हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञानकारी

होगी तो हम कार्य सहित

प्रकार से कर सकते हैं। उन्होंने

कहा कि आवेश में आकर

अथवा बोध में व्यक्ति को

उचित अनुचित का बोध नहीं

रहता इस दौरान उससे जो कार्य

होता है उसका परिणाम सर्वदा

गलत ही होता है। आचार्य

आत्मदेव जी महाराज ने कहा

कि यज्ञ से बढ़कर कोई अन्य

पुण्य कार्य नहीं है, यज्ञ कर्म से

देवता प्रसन्न होते हैं जो मानव

का जीवन सुखमय बनाने का

आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ में सैकड़ों

श्रद्धालुओं ने आहुति देकर पुण्य

कर्माय। इस अवसर पर मुख्य

रूप से आशीर्वाद प्रावाल, सत्य

ऐरन, अजय अग्रवाल, सत्य

प्रकाश, रमेश कुमार आदि

उपस्थित रहे।



धार्मिक तथा परोपकारी हो, ऐसे

में जब किसी अच्छे गुरु का

सानिध्य मिलता है तो बालक

ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होता

है। निरंतर प्रयास से वह

ज्ञानवान बन जाता है। उन्होंने

कहा कि नित्य कर्म से ही ज्ञान

का बोध होता है। आज वर्तमान

में हर व्यक्ति पैसे के पीछे अंधा

होकर दौड़ लगा रहा है जबकि

इससे कल्याण होने वाला नहीं

है। धर्म के अनुकूल कर्म करते

हुए जो व्यक्ति अपने अपने

परिवार का पालन पोषण करता

है उसे ही सच्च सुख प्राप्त होता

है। उन्होंने कहा की किसी भी

कार्य करने से पहले उसके बारे

में जान लेना आवश्यक है यदि

हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञानकारी

होगी तो हम कार्य सहित

प्रकार से कर सकते हैं। उन्होंने

कहा कि आवेश में आकर

अथवा बोध में व्यक्ति को

उचित अनुचित का बोध नहीं

रहता इस दौरान उससे जो कार्य

होता है उसका परिणाम सर्वदा

गलत ही होता है। आचार्य

आत्मदेव जी महाराज ने कहा

कि यज्ञ से बढ़कर कोई अन्य

पुण्य कार्य नहीं है, यज्ञ कर्म से

देवता प्रसन्न होते हैं जो मानव

का जीवन सुखमय बनाने का

आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ में सैकड़ों

श्रद्धालुओं ने आहुति

देकर पुण्य कर्माय। इस अवसर

पर मुख्य रूप से आशीर्वाद

प्राप्त होता है। इसी तरह विष्णु

देव चैतन्य जी महाराज ने कहा

कि यज्ञ से बढ़कर कोई अन्य

पुण्य कार्य नहीं है, यज्ञ कर्म से

देवता प्रसन्न होते हैं जो मानव

का जीवन सुखमय बनाने का

आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ में सैकड़ों

श्रद्धालुओं ने आहुति

देकर पुण्य कर्माय। इस अवसर

पर मुख्य रूप से आशीर्वाद

प्राप्त होता है। इसी तरह विष्णु

देव चैतन्य जी महाराज ने कहा

कि यज्ञ से बढ़कर कोई अन्य

पुण्य कार्य नहीं है, यज्ञ कर्म से

देवता प्रसन्न होते हैं जो मानव

का जीवन सुखमय बनाने का

आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ में सैकड़ों

श्रद्धालुओं ने आहुति

देकर पुण्य कर्माय। इस अवसर

पर मुख्य रूप से आशीर्वाद

प्राप्त होता है। इसी तरह विष्णु

देव चैतन्य जी महाराज ने कहा

कि यज्ञ से बढ़कर कोई अन्य

पुण्य कार्य नहीं है, यज्ञ कर्म से

देवता प्रसन्न होते हैं जो मानव

का जीवन सुखमय बनाने का

आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ में सैक





## सेना के हेलिकॉप्टर ने जानबूझकर यात्री प्लेन को मारी टक्कर, कोई नहीं बचा ? ट्रंप ने दुर्घटना पर जताया संदेह

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के पास एक भव्यतक हवाई दुर्घटना ने सभी को लिलाकर रख दिया है। अमेरिकी सेना के ब्लैकहॉक हेलिकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस के यात्री विमान के बीच टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हादसे को लेकर कई घटनाकारी थ्योरी (कॉन्सापरेसी थ्योरी) सामने आ रही हैं। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस दुर्घटना को लेकर संदेह जताया है। यह हादसा अमेरिकन ट्रंप द्वारा मंगलवार को होमलैंड सुरक्षा विभाग में फेरबदल करने के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें परिवहन सुरक्षा प्रणाली और तरक्कशक बल के प्रमुखों को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हाय दिया गया और एयर ट्रैफिक नियंत्रकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। 22 जनवरी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण विमानन सुरक्षा सलाहकार समूह के सभी सदस्यों को भी धंग कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हादसे पर संदेह जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा विमान एक तय रूट पर रखने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से हेलिकॉप्टर ने सोधा प्लेन की ओर उड़ान भरी। आसमान साफ था, लेन की लाइट्स ऑन थीं, फिर भी हेलिकॉप्टर ने रास्ता क्यों नहीं बदला? कंट्रोल टावर ने पायलट को जानबूझकर लेने से टकराया? क्या यह कोई आंतकी साजिश होती थी? अभी तक किसी को भी बचायानहीं जा सका है। दुर्घटना थी या अंतकी साजिश? घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं क्या यह महज एक हादसा था, या फिर सेना का हेलिकॉप्टर जानबूझकर लेने से टकराया? क्या यह कोई आंतकी साजिश होती थी? अभी तक किसी को भी बचायानहीं जा सकती है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने चेतावनी क्यों नहीं दी? हेलिकॉप्टर पायलट ने आखिरी रोक ने नेशनल एयरपोर्ट के पास



हुई, जहां अमेरिकी सेना का ब्लैकहॉक हेलिकॉप्टर पीछे से एक अमेरिकन एयरलाइंस के विमान से टक्कर गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही एयरक्राप्ट पोमैक नदी में जा गिरे। एयरलाइन कंपनी ने पुष्टि की है कि विमान में कुल 64 लोग (चार कर्म में वर्स सहित) सवार थे, जबकि हेलिकॉप्टर में तीन सैन्य कर्मी और बचाव कार्यालयी है। अधिकारियों का मानना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी कई लोग लापता हैं। हादसे के बाक विमान में 64 यात्री और हेलिकॉप्टर में तीन सैन्य कर्मी मौजूद थे। अमेरिकी नागरिक उड़ान प्रशासन और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी सेना भी यह पता लगाने में जुटी है कि यह महज एक हादसा था, या यह कोई एक्सीडेंट था या कोई बड़ी साजिश रडार रिकार्डिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन की समीक्षा की जा रही है ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके।

एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य और व्यावसायिक उड़ानों के लिए अलग-अलग एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जिससे ऐसी टक्कर होने की संभावना बेहद कम होती है। यह यह ट्रैफिक कंट्रोल की बड़ी चूक थी? या फिर बाकई इसमें कोई गहरी साजिश छिपी है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में मौजूद थे। अमेरिकी नागरिक उड़ान प्रशासन और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी सेना भी यह पता लगाने में जुटी है कि यह महज एक एक्सीडेंट था या कोई बड़ी साजिश रडार रिकार्डिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन की समीक्षा की जा रही है ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके।

## शहरी नियोजन की विफलता और प्रदूषण जीबीएस के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार, सुप्रिया सुले का दावा

महाराष्ट्र के पुणे और उसके आस-पास के इलाकों में गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के बढ़ते ममले राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। इसी बीच शरद पवार गुट की एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने जीबीएस के बढ़ते ममलों के लिए पुणे नार प्रशासन की विफलता पर जोर देते हुए प्रशासन की आलोचना की। बता दें कि जीबीएस एक दुर्लभ बीमारी के तौर पर सामने आई है, जो अचानक सुन्नता, मांसपेशियों की कमजोरी और अंगों में गंभीर ममजोरी जैसी समस्याएं पैदा करती है। उन्होंने कहा कि शहरी नियोजन के बिलकुल तक नहीं आये हैं और सरकार के विफलता के बावजूद एक 40 वर्षीय व्यक्ति की जीबीएस से मौत भी हो गई है। सुले ने फैलनेवास सरकार से की मांग लोकसभा सदस्य सुले ने महाराष्ट्र सरकार से जीबीएस के मरीजों का सारा चिकित्सा खर्च सरकार देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि निराधार प्रबंधन के कारण यह बीमारी फैल रही है। सुप्रिया सुले ने जीबीएस को एक दुर्लभ बीमारी बताते हुए इसके कारणों का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बता दें कि बुधवार तक राज्य में 127 सर्विधि जीबीएस के मरीज



पाए गए हैं। वहीं पुणे में एक 56 वर्षीय महिला और सोलापुर में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की जीबीएस से मौत भी हो गई है। सुले ने फैलनेवास सरकार से की मांग लोकसभा सदस्य सुले ने महाराष्ट्र सरकार से जीबीएस के मरीजों का सारा चिकित्सा खर्च सरकार देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि निराधार प्रबंधन के कारण यह बीमारी फैल रही है। सुप्रिया सुले ने जीबीएस के पुणे जिले में बारामती का प्रतिनिधित्व करने

सरकार को पत्र लिखेंगी। उन्होंने कहा कि जीबीएस का फैलाव शहरी नियोजन की विफलता का परिणाम है और प्रदूषण के कारण बीमारियों में बुद्धि का कारण भी बताया जा रहा है। सरकार के विफलता के सहयोग के लिए तैयार साथ ही सुले ने यह भी कहा कि हालांकि हम विश्व में हैं, लेकिन हम इन मुद्दों पर सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि आम लोगों को सिर्फ सरकार की निराधार नितियों के कारण परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

## नावालिंग से यौन उत्पीड़न के आरोप में आरोपी को तीन साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया

महाराष्ट्र के ठाणे में एक अदालत ने 2019 में एक लड़की को यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 51 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पॉलिस अदालत के न्यायाली देशमुख ने यह आरोपी को यौन उत्पीड़न के रूप में काम करवाया। विशेष लोक अधियोजक संघ एवं यात्रे ने अदालत को बताया कि पांच जुलाई 2019 को पीड़िता 3 साल की थी और वह खूब जा रही थी, तब आरोपी मोड़ज हातिम रामपुराणा ने उत्पाता पीड़िता को बदल दिया और उसे गलत तरीके से छुआ। लड़की ने आरोपी की हक्कों का विरोध किया। शोर मचाया और छाते से उसे मारने की कोशिश की। वहां से गुजर रही एक महिला ने पीड़िता को बदल दिया, जबकि आरोपी मोड़े से छुआ।


पीड़िता और महिला ने आरोपी को उपकर करके घर तक पीछा किया और पुलिस ने उसे गिरावर किया। न्यायाली देशमुख ने बुधवार को आरोपी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि इन दिनों नावालिंगों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन घटनाओं के बाद बहुत कम ही पीड़ित को शिकायत दर्ज कराने आते हैं। न्यायाली देश कहा,

क्षमापात्र को यह समझना चाहिए कि यह एक अपराध है और ऐसी घटनाओं की शिकायत की जानी चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योति मिश्रा द्वारा कॉम्प्रेक्टर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुजारा यैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।

प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0131-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569

## युद्ध से तबाह गाजा को फिर बसाने में लगेंगे अरबों डॉलर, भारत कितनी मदद करेगा?



इजरायल-हमास युद्ध ने गाजा को नियंत्रण से खंडहर में बदल दिया है। उत्तरी गाजा में इमारतों का मलबा चारों ओर फैला हुआ है, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, और बिजली-पानी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वन हो गई है। इस सहायता गाजा तक पहुंचने में मुश्किलों आती हैं। संयुक्त राष्ट्र का फिर से बसाने में अब भी डॉलर की जरूरत हो गी। युद्धविपराम के बाद लोग लोग आपने घरों से बचाव कर लिया है। यह यह दूसरी बारी है कि अगर नाकाबंदी का जरूरत हो तो गाजा के पुर्निमांग में 350 साल तक लग सकते हैं। गाजा को नियंत्रण प्राप्त करने की ओर लोगों की धूम लगती है। अपने घरों से बचाव करने के बाद लोग अपने घरों के बाहर आते हैं। यह यह दूसरी बारी है कि अगर नाकाबंदी का जरूरत हो तो गाजा के पुर्निमांग में 68 सड़क नेटवर्क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। सड़कें और इंजिनियरों द्वारा यह नष्ट कर दिया जाता है। यह यह दूसरी बारी है कि अगर नाकाबंदी का जरूरत हो तो गाजा के पुर्निमांग में 245,000 से अधिक घर नष्ट हो जाते हैं। यह यह दूसरी बारी है कि अगर नाकाबंदी का जरूरत हो तो गाजा के पुर्निमांग में 68 सड़क नेटवर्क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह यह दूसरी बारी है कि अगर नाकाबंदी का जरूरत हो तो गाजा के पुर्निमांग में 18 लाख से अधिक घर नष्ट हो जाता है। यह यह दूसरी बारी है कि अगर नाकाबंदी का जरूरत हो